

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं. 43/अपील/2022
(GCMS No. 2022/80)

प्रविष्टि दिनांक
27.06.2022

निर्णय दिनांक
28.01.2026

महावीर आ. हरपाल जाति गुर्जर,
निवासी ग्राम भवानीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलांत

बनाम

1. औंकार पुत्र पन्ना जाति गुर्जर
निवासी बलकासा, हाल निवास भवानीपुरा, तह. तालेडा
2. कैलाश पुत्री पन्ना पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर
हाल निवासी आमथूर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
3. चौथमल पुत्र पन्ना जाति गुर्जर
हाल निवासी भवानीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
4. बृजमोहन पुत्र पन्ना जाति गुर्जर
हाल निवासी भवानीपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
5. बरधी पुत्री पन्ना पत्नी रामकंवर जाति गुर्जर
हाल निवासी दोताना, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी।
6. मनोहरबाई पुत्री पन्ना पत्नी कालूलाल जाति गुर्जर
निवासी बलकासा, हाल निवास बालापुरा, तह. तालेडा
7. रामनाथी पुत्री पन्ना पत्नी सुखलाल जाति गुर्जर
निवासी हनोतिया हाल निवासी आमथून, तहसील तालेडा
8. श्रवणी पुत्री पन्नालाल जाति गुर्जर
निवासी आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
9. राजस्थान राज्य तहसीलदार बून्दी

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

जिला कलक्टर बून्दी

अपीलांट की ओर से श्री राजकुमार गौतम, एडवोकेट।
रेस्पोंडेंट सं. 1 व 4 की ओर से श्री प्रकाशचन्द्र भण्डारी, एडवोकेट।
रेस्पोंडेंट सं. 9 की ओर से परोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तरदीक किये गये नामान्तरकरण सं. 245 दिनांक 08.03.2022 ग्राम हनोल्या से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार पन्ना गुर्जर के फोटो ही जानें पर विरासत का नामान्तरण उसके वारिसान के पक्ष में तरदीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 43/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMMS NO. 2025/80 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पोंडेंट जारिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया। बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2025 को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 22 रकबा 3.9295 हैक्टयर, खसरा सं. 355 रकबा 0.0648 हैक्टयर, खसरा सं. 360 रकबा 0.0567 हैक्टयर, खसरा सं. 370 रकबा 0.3561 हैक्टयर, खसरा सं. 371 रकबा 0.0890 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.4921 हैक्टयर वाकोग्राम हनोल्या तहसील बून्दी का सहखातेदार पन्ना गुर्जर था। मृतक सहखातेदार पन्ना के चार पुत्र चौथमल, आँकार, हरपाल एवं बृजमोहन तथा पाँच पुत्रियां कैलाश, बरधी, मनोहरबाई, रामनाथी, श्रवणी है। जिनमें से पन्ना के एक पुत्र हरपाल का देहान्त हो गया है। हरपाल का गोदपुत्र अपीलांट महावीर है। अपीलांट को मृतक सहखातेदार पन्ना के पुत्र हरपाल ने उसके जीवनकाल में ही अपीलांट के नैसर्गिक पिता चौथल एवं नैसर्गिक माता श्रीमती लट्ठूबाई से वर्ष 2001 में जाति शीति रिवाज के अनुसार गोद की रस्म सम्पादित कर गोदपुत्र के रूप में अंगीकार किया था। तत्समय गोदनामा निष्पादित नहीं किये जाने के कारण बाद में दिनांक 22.04.2009 को गोदनामें का स्मृतिपत्र गोदपिता हरपाल व नैसर्गिक माता-पिता ने निष्पादित किया था। अपीलांट महावीर के बाल्यकाल से ही सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता का नाम हरपाल ही अंकित है। इसके बावजूद सहखातेदार पन्ना का फौती नामान्तरकरण सं.245 दिनांक 08.03.2022 केवल रेस्पोंडेंटस के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसमें महावीर गोदपुत्र हरपाल का नाम दर्ज नहीं किया गया। ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील तालेजा में स्थित अन्य भूमि के सहखातेदार हरपाल पुत्र पन्ना के फौती इत्तकाल में गोदपुत्र अपीलांट

जिला कलेक्टर, बून्दी



महावीर का नाम दर्ज किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी तालेजा द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2024 पारित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार पन्ना गुर्जर के उत्तराधिकारियों के बाबत कोई जांच नहीं की और न ही विधिक गरिसान को सुनवाई का कोई नोटिस जारी किया गया। जबकि अपीलांत महावीर मृतक खातेदार पन्ना के मृतक पुत्र हरपाल का गोदपुत्र होने से उक्त फौती नामान्तरकरण में अपीलांत का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांत को अपीलाधीन नामान्तरण की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 21.05.2022 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त करने पर हुयी। इससे पूर्व अपीलांत को नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। फिर भी किसी कारणवश यदि विलम्ब माना जावे तो देशी क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 08.03.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांत के पक्ष में भी मृतक खातेदार पन्ना का फोती नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।




अभिभाषक रेष्यो.सं. 1, 4 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वर्ष 2011 में ही हरपाल की बहनों द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में रिलीजडीड कर दी गई थी जिसके आधार पर अपीलांत के पिता का नाम भी राजस्व रिकार्ड में जर्गे नामान्तरकण अंकित हो गया था। जिससे अपीलांत को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। इसके बावजूद अपीलांत द्वारा यह अपील विलम्ब से पेश की गई। देशी का कोई कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर विलम्ब से पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। आगे मेरिट पर बहस करते हुये अभिभाषक रेष्यो.सं.1, 4 ने कथन किया कि हरपाल व उसकी पत्नी ने अपीलांत महावीर को कभी गोद नहीं लिया था। वैसे भी गोद का प्रश्न दीवानी न्यायालय से ही तय किए जाने का क्षेत्राधिकार है। गोद के बाबत अधिकार नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते हैं। हरपाल का देहान्त वर्ष 2010 में हो गया था, लेकिन महावीर ने आज दिन तक सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया। अभिभाषक रेष्यो.सं.1, 4 द्वारा 2012 आरआरडी पेज 765, 2011 आरआरटी पेज 246, 2005 आरआरडी पेज 85, 2012 आरआरटी पेज 1412, 2010 आरआरटी पेज 310, 2009 आरआरडी पेज 123, 128, 2009 आरआरडी पेज 101 की नजीरे पेश करते हुये अपील अपीलांत खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांत के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया, जिससे प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.22 को पारित किया गया है, जिसकी अपील अपीलांत द्वारा दिनांक 17.06.22 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में अपीलांत को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने पर दिनांक 21.05.2022 को होना अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कोई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिए। न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय भेरिट पर करना उचित समझते हैं। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम इनोव्वा, तहसील बून्दी में स्थित कृषि भूमि कित्ता 5 कुल रकबा 4.4921 हैक्टयर के सहखातेदारान के फोट हो जाने पर उनके वारिसान के पक्ष में दिनांक 08.03.2002 को फोती नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांत को आपत्ति है कि खातेदार पन्ना के पुत्र हरपाल ने उसको जर्ये गोदनामा दिनांक 22.04.2009 को अपना गोदपुत्र स्वीकार किया है, किन्तु हरपाल के देहान्त के बाद उसके हिस्से पर भूमि गोदपुत्र महावीर का नाम दर्ज नहीं किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होना बताते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलांत के पक्ष में निष्पादित गोदनामा दिनांक 22.04.2009 की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसपर गोददालागण पिता चौथमल के हस्ताक्षर, माता लदूबाई की अंगूठा निशानी, गोदग्रहिता हरपाल के हस्ताक्षर अंकित है, जो नोटरी पब्लिक से सत्यापित है। पत्रावली पर उपलब्ध सहमति पत्र गोदनामा दिनांक 30.01.2010 छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि रस्यो.सं. 1 आँकार, 3. चौथमल, 4. आँकार को महावीर के हरपाल का गोदपुत्र होने पर सहमति है। पत्रावली पर उपलब्ध राशन कार्ड दिनांक 2.11.2004, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5.12.2010 को जारी फोटो पहचान पत्र, ग्राम भवानीपुरा की मतदाता सूची, झुईविंग लाईसेंस, आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड, आधार कार्ड महावीर के पिता का नाम हरपाल अंकित है। ऐसे में अपीलांत महावीर के हरपाल आ. पन्नालाल के गोदपुत्र होने के तथ्य को सिरे से नाकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 135(2) में दर्ज कर खातेदारान के उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही में विधिक प्रावधानों की पालना का अभाव पाया गया है।



अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 08.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रायथल को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि के मृतक सहखातेदारान के विधिक उत्तराधिकारियों की विस्तृत जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेज / साक्ष्य आदि रेकार्ड पर लिये जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाकर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी